प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में सीमाशुल्क पत्तनों के माध्यम से आयात एवं निर्यात व्यापार सुविधा की निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम निहित हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित दृष्टांत वे हैं जो 2014-15 की अवधि के दौरान नमूना जाँच के दौरान संज्ञान में आए।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप की गई हैं।

लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा प्रकृति या प्रत्येक स्तर पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (डीजीएफटी) और राजस्व विभाग (सीबीईसी) तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त सहयोग पर आभार व्यक्त करती है।